फर्द अहकाम

सुरेश बनाम नन्दकिशोर वगै०

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर फागी

केस संख्या :–

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	26/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के वकील उपस्थित आज अभिभाषक संघ फागी ने न्यायिक के कार्य स्थगित किया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 3/10/25 को पेश हो।
	3/10/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० प्रार्थना-पत्र पर बहस अभी सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 9/10/25 को पेश हो।
	9/10/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०, आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूल दावा के निस्तारण तक खाता सं० 208 के ख०नं० 374, 388, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 633/3, 739, 748 वाके ग्राम सुल्तानिया में रजिस्टर्ड विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के व वादग्रस्त भूमि में दखल अन्दाजी ना करने के लिये पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर फर्द नम्बरान से खारिज हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर

मु0न0:— 66/2025
पीठासीन अधिकारी:— जयन्त कुमार (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:— 09.10.2025

1. सुरेश पुत्र रामेश्वर जाति बारागांव निवासी सुल्तानिया तहसील फागी जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वर
2. मनभर देवी पत्नी रामेश्वर
3. सुरज्ञान पुत्री रामेश्वर
4. हनुमान पुत्र औंकार
   समस्त जाति बारागांव निवासी सुल्तानिया तहसील फागी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मण्डोर तहसील फागी।
8. एचडीएफसी बैंक शाखा भांकरोटा
9. यूको बैंक शाखा फागी जिला जयपुर। अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी
श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक:— 09.10.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 208 खसरा नम्बर 374, 388, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 633/3, 739, 748 कुल किता 16 कुल रकबा 9.4585 है0 भूमि वाके ग्राम सुल्तानिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण जमाबन्दी में हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं व हिस्सानुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपने—अपने पिता से विरासत में मिली है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अपने बुजुर्गो के समय से शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपस मे मौके पर मनबट के आधार पर बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा हिस्सेनुसार लगान भी सरकार को अदा कर रहे हैं। परन्तु विवादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ हैं । विवादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सह खातेदारी की आराजी है। विवादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं होने से सींव, मेड को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद होता रहता हैं तथा ऋण आदि

लगातार.....................2

लेने में दुविधा बनी हुई हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगा0 4 कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 13/07/2025 को प्रार्थी के खेत की सींव, मेड को तोड दिये और अप्रार्थी सं. 1 लगा0 4 ने उक्त आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की धमकियां दी व प्रार्थी की आराजी में जबरन प्रवेश करने की नियत से मेड को तोड दी। इसलिये प्रार्थी द्वारा विधिवत बंटवारा करवाने के लिए यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ जिसका प्रार्थी अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण विभाजन करायें बिना बैचने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने के अधिकारी नही है। विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा हैं तथा मौके पर मनबट के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से की आराजी की सींव, मैड को तौड कर प्रवेश करने व प्रार्थी के हिस्से के कब्जे, काश्त में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं। एक सह खातेदार दूसरे सह – खातेदार के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं कर सकता हैं। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी के कब्जें काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से रूकवाने के लिए अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ इसलिए वाद व प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। जिसकी प्रार्थी कानूनन अधिकारी हैं। विभाजन होने तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। यदि अप्रार्थीगण ने बिना तकासमा आराजी का वैचान कर दिया या प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिये भी यह वाद व प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से मनबट के आधार पर बांटकर अपनी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विधिवत बंटवारा नहीं हैं तथा पक्षकारान संयुक्त रूप से हिस्सा अनुसार लगान सरकार को अदा कर रहे हैं । सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 01 लगायत 4 की और से वकील श्री प्रेमचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये बताया की प्रार्थी पिछले 5 – 6 वर्षो से उक्त आराजीयात पर कभी भी काश्त नही की है, तथा न ही वर्तमान में प्रार्थी के हिस्से पर किसी प्रकार की कोई काश्त की गयी है। प्रार्थी अपने पिता के द्वारा किये गये बंटवारे को नही मानकर अपने हिस्से पर पिछले 5 – 6 वर्षो से आराजी पर काश्त नही कर रहा है, जो मौके पर खाली व बंजड पडी है। उक्त आराजीयात पर मात्र अप्रार्थी सं0 4

लगातार.................3

अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण/उत्तरदाता ने कभी भी प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी है, तथा न ही कभी गैर — कोर को खुर्द —बुर्द किया गया है, क्योकि प्रार्थी पिछले 5—6 वर्षो मे कभी काश्त ही नही की और आराजी बंजड पडत है, जिस पर काफी विलायती बबूल व झाडिया उगी हुयी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी की आराजी में घुसकर मेड को खुर्द बुर्द करने का तथ्य मनगढत व बनावटी है। प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त नही है, तथा न ही काश्त करना चाहता है, ऐसी स्थिति में पार्थी के आराजीयात में दखल — अदांजी करने व मेड—बन्दी को खुर्द बुर्द्व करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। कोई भी सह खातेदार प्रार्थी के हिस्से की आराजी का बेचान नही कर सकता है तथा किसी सहकाश्तकार द्वारा अपने हिस्से का बेचान किये जाने पर प्रार्थी के हक व अधिकरों पर कोई प्रभाव नही पडेगा। उत्तरदातागण सहखातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रार्थी द्वारा उतरदातागण को कानून पाबन्द नही करवाने का अधिकारी नही है। इसलिये प्रथम द्वष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नही होकर उत्तरदातागण के पक्ष में प्रवल है । उत्तरदाती ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी नही दी है, उक्त आराजीयात का वाई मीट्स एण्ड बोण्डस या मौके कब्जेनुसार तकासमा किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा — खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया क़ी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर किया जाना है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. अपूर्णीय क्षति
3. सुविधा का सन्तुलन

1. **प्रथम दृष्टया केसः—** पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण ने वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 वाके ग्राम सुल्तानिया की उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मे

लगातार....................4

प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा मूल वाद मे निर्धारित किया जाना है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 उक्त विवादग्रस्त आराजी मे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे भी उक्त आराजी पुश्तैनी होना बताया है। जिससे अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे स्वीकार किया है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। मूल वाद बटवारे का होने के कारण किसी भी सहखातेदार का अधिकार/कब्जा क्षेत्र वर्तमान साबित नही है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित हो। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे बखुबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 लगायत 4 को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। जो कि अप्रार्थी सं0 1 ने भी अपने जवाब मे स्वीकार किया है।

"रा0टी0 एक्ट की धारा 212 के सार 7 मे सुविधा के सन्तुलन की व्याख्या की गई है कि निषेधाज्ञा देने मे अदालत को सुविधा के सन्तुलन को देखना चाहिए यह दिखाने का दायित्व वादी पर है "कि यदि निषेधाज्ञा नही दी गई तो उसकी असुविधा प्रतिवादी को होने वाली असुविधा से अधिक होगी।"

उक्त आराजी मे रिकार्डेड खातेदार को स्थगन से पावन्द नही किये जाने पर काफी असुविधाओं का सामना करना पड सकता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे बखुबी साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– संलग्न मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार है। जोकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की जरिये विरासत से प्राप्त होना जाहिर होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के उक्त विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने का कथंन किया है। अगर वर्तमान रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबन्द नही किया जाता है तो कोई भी सहखातेदार अपने अधिकार व कब्जा क्षैत्र के निस्तारण के बिना अपने हिस्से को बैचान कर देगा तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तकासमे के वाद की भावना समाप्त हो जायेगी। जिससे प्रार्थी को क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भंव प्रतीत नही होता है। अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल साबित होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

लगातार...............5

(5)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 208 खसरा नम्बर 374, 388, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 633/3, 739, 748 कुल किता 16 कुल रकबा 9.4585 है० भूमि वाके ग्राम सुल्तानिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात की राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जयन्त कुमार)
सहायक कलक्टर
फागी जिला जयपुर